

विज्ञापित

समाज कल्याण विभाग द्वारा “दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा हेतु निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग”
पत्रांक : 3099/स0क0/निःशुल्क कोचिंग योजना-दिव्यांगजन/2025-26 दिनांक 15 दिसम्बर 2025

सचिव समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1006/XVII-2/2025(E-9488) दिनांक 18 नवम्बर 2025 कमशः मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-655/2024 “दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा हेतु ऑनलाइन कोचिंग योजना की व्यवस्था की जाएगी” के अनुपालन में निःशुल्क कोचिंग हेतु पात्र दिव्यांग छात्र/छात्रा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण/स्नातक तृतीय वर्ष में अध्ययनरत, उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो, दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत और अधिक (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा), दिव्यांगता के प्रकार का उल्लेख, UDID, परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु.02.00 लाख से अधिक न हो, से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय समाज कल्याण मानपुर पूरब, रामपुर रोड हल्द्वानी-नैनीताल पिन कोड-263139 को पंजीकृत डाक/स्वयं जमा कर सकते हैं, अथवा Google Form के Link <https://forms.gle/WSZMHGLWYjGLkcJk9> पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 सांय 05:00 बजे तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। छात्र/छात्रा द्वारा पूर्व में संचालित इस प्रकार की निःशुल्क कोचिंग योजना/उच्च शिक्षा और किसी अन्य विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ न लिया गया हो, प्रवेश के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्र/छात्रा परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता और प्राप्तांक संबंधी शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां, जाति, आय, स्थाई निवास प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।

निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं माह जनवरी 2026 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

नोट-छात्र/छात्रा द्वारा इस योजना में केवल आवेदन करने से ही उनका कोचिंग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा वरन् उन्हें बैच क्षमता के सापेक्ष प्राप्तांक, मेरिट के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा।

इस संबंध में अधिक जानकारी तथा निःशुल्क आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट (www.socialwelfare.uk.gov.in) से प्राप्त कर सकते हैं।



(डॉ० संदीप तिवारी)

निदेशक

समाज कल्याण उत्तराखण्ड।